<u>न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6 कासगंज।</u>

अध्यासीन– एकता कुशवाहा.....एच0जे0एस0

सत्र वाद संख्या–805 / 2022

(CNR UPKR010041752022)

(J.O.Code No.- UP 1578)

राज्य बनाम 1–राम सिंह पुत्र टोडी सिंह
2–राजेश पुत्र टोडी सिंह
निवासीगण ग्राम नवादा थाना गंजडुण्डवारा
जिला कासगंज।
मुकदमा अपराध संख्या–180 / 2013
धारा– 2 / 3 गैंगस्टर एक्ट, 1986
थाना–गंजडुण्डवारा, जिला कासगंज

<u>निर्णय</u>

1. थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज द्वारा प्रेषित किये गये आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण महेश, जितेन्द्र, रिन्कू, राम सिंह, राजेश एवं बाबू सिंह का विचारण किया गया है।

2– अभियुक्तगण राम सिंह एवं राजेश द्वारा जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र 29ब दिनांक 01.10.2022 को प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त राम सिंह एवं राजेश की पत्रावली शेष अभियुक्तगण से पृथक करने का आदेश पारित किया गया। वर्तमान में अभियक्तगण राम सिंह एवं राजेश का विचारण किया जा रहा है।

3. संक्षेप में अभियोजन का अभिकथन इस प्रकार है कि एस0ओ अरविन्द कुमार द्वारा दिनांक 03.07.2013 को समय 19.30 बजे पर थाना गंजडुण्डवारा पर यह अपराध इस कथन के साथ पंजीकृत कराया गया कि वह मय कां0 नरेश कुमार, विजय कुमार, सहदेव सिंह, मय जीप सरकारी यूपी 87जी / 0026 मय कां0 मकसूद अहमद वास्ते देखर–रेख शान्ति व्यवस्था व रोक थाम जुर्म जरायम व चैंकिंग संदिग्ध व्यक्ति क्षेत्र हाजा थाना गंजडुण्डवारा व अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट जिलाधिकारी दिनांकित 02.06.2013 की जॉच करता हुआ ग्राम नवादा से वापस आया। भ्रमण के दौरान पता चला कि अभियुक्त महेश पुत्र बाल किशन निवासी नवादा थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज का एक संगठित गिरोह है। इस गैंग के सदस्य जितेन्द्र पुत्र बाल किशन, रिन्कू पुत्र बाल किशन, राम सिंह पुत्र टोडी सिंह, राजेश पुत्र टोडी सिंह, बाबू पुत्र मेघ सिह निवासीगण नवादा थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज गैंग लीडर महेश उपरोक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या व उद्दापन के जघन्य अपराध करके अवैध रूप से धन उपार्जित कर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराधों को करके समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त रहते है। वर्तमान में इनकी सक्रिय गतिविधियों को नियंतत्रित करने के लिए गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। इनका जनता में इतना भय व आंतक है कि इके द्वारा किये गये अपराधों की रिपोट दर्ज कराने व गवाही देने को कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता है। अभियुक्त राम सिंह एवं राजेश का निम्न आपराधिक इतिहास है–

1–अपराध संख्या–253 / 2007 धारा 147,148,149,302 भारतीय दण्ड संहिता थाना सिकन्दरपुर वैश्य

2–अपराध संख्या–166 / 2005 धारा 354,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना गंजडुण्डवारा

3–अपराध संख्या– 313/2012 धारा 147,384,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना गंजडुण्डवारा

अतः अभियुक्तगण राम सिंह एवं राजेश एवं अन्य अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।

4. उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण महेश, आदि सहित राम सिंह एवं राजेश के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–180/2013 पर थाना गंजडुण्डवारा, जिला कासगंज में मुकदमा दर्ज किया गया।

5. विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण महेश, आदि सहित राम सिंह एवं राजेश के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

6. अभियुक्तगण राम सिंह एवं राजेश एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2014 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की। तदोपरान्त पत्रावली अभियोजन के साक्ष्य हेतु नियत की गई।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू–1 के रूप में मेघ सिंह एवं पी0डब्लू–2 के रूप में सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 वीरपाल शर्मा को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, नकल रपट की प्रति प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्लू.–1 के रूप में मेघ सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना आज से लगभग 14 साल पहले की है। एक मोटर साइकिल पर वह व उसका लडका धीरेन्द्र व दूसरी मोटर साइकिल पर उसका लडका सुरेश व गिरजा शंकर घर आ रहे थे तभी वगवास की पुलिया के पास बाल किशन, महेश, जितेन्द्र, टिन्कू, राम सिंह, राजेश व बाबू ने मोटर साईकिलों को रोककर सुरेश व गिराजा शंकर को पकड कर खींच ले गये और सुरेश से तीन अंगूठी व एक जंजीर व रूपये लूट लिये और दोनों में गोली मार दी। घटना उसके सामने हुयी थी। उसने घटना को अपनी ऑखों से देखा है। इसकी रिपोर्ट उसने सिकन्दरपुर वैश्य थाने पर लिखायी थी।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू–2 के रूप में सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 वीरपाल शर्मा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 03.07.2013 को वह थाना गंजडुण्डवारा पर बतौर सी0सी0 पद पर तैनात था। उसी दिन थाना प्रभारी अरविन्द कुमार मय अनुमोदनशुदा गैंगचार्ट क्षेत्र से कार्यालय वापस आये और अपराध संख्या– 180/2013 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना गंजडुण्डवारा पर महेश आदि 06 नुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया, जो उसके द्वारा किता किया गया था जिसका खुलासा उसके द्व ारा उसी दिन नकल रपट संख्या– 47 समय 19.30 बजे पर उसके द्वारा किता किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 एवं नकल रपट की प्रति प्रदर्श क–2 पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की।

10. अभियुक्तगण राम सिंह एवं राजेश द्वारा जरिये जेल अधीक्षक, जिला कारागार जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त को जेल से तलब कर पृच्छा किए जाने पर उन्होने इसे स्वस्थ चित्त तथा बिना किसी जोर

दबाव के स्वेच्छया दिया जाना स्वीकार किया है। उनके द्वारा न्यायालय से प्रार्थना की गयी है कि वह गरीब परिवार के व्यक्ति है। उनके अलावा घर पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो उपरोक्त मुकदमें की उचित पैरवी करके उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से रिहा करा सके। उनकी हवालात लगभग 09 वर्ष 01माह हो चुकी है। अतः याचना की गयी कि उनके प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रख्तो हुए अभियुक्तगण को बीती हवालत पर छोडने की कृपा करें। अभियुक्त द्वारा जुर्मस्वीकृति प्रार्थनापत्र दिए जाने के कारण उनकी पत्रावली पृथक की गयी और याचना पर साक्षियों की साक्ष्य समाप्त की गयी।

11. अभियुक्तगण का ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 18.10.2022 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने ब्यान में घटना के संबंध में कोई कथन न करते हुये अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार किया।

12. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियेाजक (गैंगेस्टर एक्ट) तथा अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

13. राज्य की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी की साक्ष्य, अभियोजन प्रपत्रों तथा अभियुक्तगण की जुर्मस्वीकारोक्ति से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित हुआ है। उपरोक्त के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध कर उचित दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य हैं।

14– अभियुक्तगण द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार किया है। वह अत्यन्त गरीब है तथा जिला कारागार में निरूद्ध है। उनके परिवार में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अभियुक्त की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा कारागार में व्यतीत की गयी अवधि को दण्ड में समायोजित करते हुए कम से कम सजा दी जावे।

15– उभयपक्ष के उपरोक्त तर्को के आलोक में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

16– अभियेाजनपक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन अभियोजन साक्षी संख्या 2 एच0सी0पी0 वीरपाल शर्मा ने मुकदमा की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 व नकल रपट की प्रति प्रदर्श क–2 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है। साक्षी पी0डब्लू–1 मेघ सिंह द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि एक मोटर साइकिल पर वह व उसका लडका धीरेन्द्र व दूसरी मोटर साइकिल पर उसका लडका सुरेश व गिरजा शंकर घर आ रहे थे तभी वगवास की पुलिया के पास बाल किशन, महेश, जितेन्द्र, टिन्कू, राम सिंह, राजेश व बाबू ने मोटर साईकिलों को रोककर सुरेश व गिराजा शंकर को पकड कर खींच ले गये और सुरेश से तीन अंगूठी व एक जंजीर व रूपये लूट लिये और दोनों में गोली मार दी। घटना उसके सामने हुयी थी। उसने घटना को अपनी ऑखों से देखा है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्तगण राम सिंह एवं राजेश के विरुद्ध निम्नवत् अभियोग दर्शाये गये है–

1–अपराध संख्या– 253 / 2007 धारा 147,148,149,302 भारतीय दण्ड संहिता थाना सिकन्दरपुर वैश्य

2–अपराध संख्या– 166 / 2005 धारा 354,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना गंजडुण्डवारा

3–अपराध संख्या– 313 / 2012 धारा 147,384,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना गंजडुण्डवारा

18. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा ब्यान अन्तर्गत धारा 313दं०प्र०सं० में अपने जुर्म को स्वीकार किया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति किए जाने के कारण भी अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

19– अभियुक्तगण द्वारा मुख्यत यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार किया है। वह अत्यन्त गरीब है तथा उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। परिवार का एकलौते कमाने वाले हैं। अभियुक्तगण की दयनीय स्थिति तथा लम्बी कारागार निरूद्धि को देखते हुए इस अवधि को दण्ड में समायोजित करते हुए उन्हे न्यूनतम सजा व अर्थदण्ड देने की कृपा की जावे।

20– अभियुक्तगण द्वारा दी गयी जुर्मस्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर उनके द्वारा स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया जाना बताया गया है। उसने इस वाद को जुर्मइकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि पर निस्तारित किए जाने का कथन किया है।

21– उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गये मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य तथा अभियुक्तगण की जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजनपक्ष अपने कथानक को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। जिसके कारण अभियुक्तगण उनपर लगाए गए आरोप हेतु दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। अतः उन्हें धारा 2 गैंगस्टर एक्ट में परिभाषित अपराध हेतु आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

22. दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(एकता कुशवाहा)
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06
कासगंज।

दिनॉक–18.10.2022

24. पत्रावली लंच बाद पेश हुई। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण एक गरीब परिवार का व्यक्ति हैं। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब है। अभियुक्त के अतिरिक्त कमाने वाला कोई नहीं है। अतः कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

25. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग सिद्ध है, अभियोजन द्वारा अभियुक्त को अधिक–से–अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई।

26. दण्ड के बिन्दु पर उभय पक्षों के विस्तृत तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया तथा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये आधारों को सुनने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त के अपराध की गम्भीरता एवं समाज में उसके अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को 5–5 वर्ष (पॉच–पॉच वर्ष) के कारावास व मु0 5000–5000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

27. **अभियुक्तगण राम सिंह एवं राजेश** प्रत्येक को सत्र वाद संख्या–805 / 2022, अपराध सं०–180 / 2013, थाना– गंजडुण्डवारा, जिला कासगंज के मामले में अन्तर्गत धारा 3 गैंगस्टर एक्ट के दोषसिद्ध अपराध में 5–5 वर्ष (पॉच–पॉच वर्ष के साधारण कारावास तथा मु0 5000–5000 / – रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगें।

28. प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध अपराधी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि उनकी सजा में समायोजित की जायेगी।

29. दोषसिद्ध अपराधी का सजायवी अधिपत्र बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार कासगंज प्रेषित जावे। अभियुक्तगण प्रत्येक जेल से रिहा होने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 20,000 / रु0 की एक जमानत व इसी धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करें ।

30. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के अन्तर्गत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट कासगंज को भेजी जावे। अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

31. पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(एकता कुशवाहा)
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06
कासगंज।

दिनॉक–18.10.2022

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(एकता कुशवाहा)
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06

दिनॉक–18.10.2022

Digitally signed by EKTA KUSHWAHA
Date: 2022.10.18 16:49:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court